की ओर से प्रस्तुत दावा में दिनांक 12.08.2025 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार मण्डावर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.25 को प्राप्त हुआ जिस पर अभिभाषक वादी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है इसलिए दावा वादी, विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार मण्डावर को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

25.11.25

प्रार्थीगण / वादीगण वकील द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र का कथन है कि उक्त प्रकरण उनवान मानसिंह बनाम रामसहाय में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.10.2025 को निर्णय व डिक्री किया गया था लेकिन डिक्री व अंतिम निर्णय में प्रतिवादी सं. 02 जरिये लॉयड होल्डर मण्डावर के बजाय बैरूपाडा व वकील ओमप्रकाश कुण्डारा के बजाय धर्मसिंह राजपूत दर्ज हो गया है इसलिए उक्त लिपिकीय दुरुस्ती को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः पत्रावली तलब कर निर्णय व डिक्री में संशोधन करने की कृपा करें।

मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की हुए
	मानसिंह बनाम रायसहाय मु.नं.– 34/25 किस्म – दावा प्रार्थीगण/वादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 152, अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.25 का, एवं पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात का भोगाधिकार तहसीलदार मण्डावर के अधीन आता है इसलिए प्रकरण में दिनांक 24.10.25 को जारी अंतिम निर्णय में प्रतिवादी सं.02 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा के स्थान पर राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर पढा जावे। चूंकि उक्त प्रकरण पत्रावली में शुरू आत से ही अभिभावक श्री ओ.पी. कुण्डारा द्वारा वादीगण की ओर से पैरवी की गई इसलिए अंतिम डिक्री दिनांक 24.10.25 के पंक्ति सं. 01 में हाजरी श्री धर्मसिंह राजपूत अभिभावक के स्थान पर हाजरी श्री ओ.पी. कुण्डारा अभिभावक पढ़ा जावे। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	